अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. गोपाललाल पुत्र राघवराम
   जाति ब्राहमण निवासी तूंगा
   तह. बस्सी।
2. दीपक पुत्र गोपाललाल
   जाति ब्राहमण निवासी तूंगा
   तह. बस्सी।

बनाम

1. हरिओम पुत्र कालूराम
   जाति ब्राहमण निवासी पाटन
   हालवासी तूंगा तह. बस्सी।
2. तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 213/08 दिनांक 13.03.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करते हुए निवेदन किया है कि रामसहाय का वादग्रस्त भूमि ख.नं. 431, 469 हिस्सा 1/4 ग्राम तूंगा में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बुधरपुरा में ख.नं. 87 हिस्सा 1/2 रामसहाय की स्थित है। रामसहाय जी ने ग्राम बुधरपुरा की भूमि का विक्रय पत्र वादी नं. 2 के पक्ष में दिनांक 14.10.96 को करा दी है स्वयं वर्तमान में ग्राम बुधरपुरा की 1/2 भूमि ख.नं. 87 के वादी नं. 2 काबिज खातेदार काश्तकार है एवं ख.नं. 431, 469 हिस्सा 1/4 स्थित ग्राम तूंगा के संबंध में वादी नं. 1 के पक्ष में उपयोग उपभोग करने हेतु लिखावट है जिसे प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता है। वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रामसहाय की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो चुकी है मृतक रामसहाय के दो प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी(1) पत्नी रामसहाय (2) हरिओम पुत्र कालूराम दत्तक पुत्र रामसहाय है। रामसहाय जी ने अपनी संपति की रजिस्टर्ड वसीयत भी हरिओम के पक्ष में करवाई हे। रामसहाय जी वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम तूंगा के संबंध में कोई उपयोग–उपभोग के अधिकार वादी नं. 1 को नही दिये एवं एक मिनट के लिये वादी नं. 1 ऐसे किसी अधिकार की बात भी करता है तो वह रामसहाय जी की मृत्यु के साथ स्वतः ही समाप्त हो गये है एवं उन अधिकारों के लिये रामसहाय के वारिसों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। वाद पत्र के साथ वादी नं. 1 ने ऐसे किसी अधिकार के दस्तावेज पेश नहीं किये है ऐसा कोई अधिकार पत्र वादी नं. 1 के पास है एवं वह उस अधिकार पत्र से अपने कोई हक अधिकार वादग्रस्त भूमि में मानता भी है तो उसे अपने अधिकार तय कराने हेतु सिविल कोर्ट में जाना चाहिये। राजस्व न्यायालय को तथा कथित अधिकार पत्र पर विचार करने व तय करने के हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से कानूनन चलाने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एक रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार ला सकता है एवं वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक खातेदारों को दिये अधिकारों के संबंध में ही ला सकता है यहा पर वादी नं. 1 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी नं. 2 के पक्ष में जो विक्रय पत्र है वह केवल बुधरपुरा की भूमि के संबंध में है तूंगा ग्राम की वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई हक अधिकार वादी नं. 1 को प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति वादपत्र कानूनी सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादीगण को कभी भी वास्तविक अर्थो में वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि यह वाद पत्र बार्ड बाई लॉ विधि के सुस्थापित सिद्धातों के विपरीत वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए प्रतिवादीगण रामसहाय के प्रथम श्रेणी के वारिसों को हैरान व परेशान करने के लिये पेश किया है। अतः निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से कानून के सुस्थापित सिद्धातों के विपरीत होने से फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

अप्रार्थी/वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 इस हद तक स्वीकार है कि वादीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करते हुए निवेदन किया है कि रामसहाय का वादग्रस्त भूमि ख.नं. 431, 469 हिस्सा 1/4 ग्राम तूंगा में स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बुधरपुरा में ख.नं. 87 हिस्सा 1/2 रामसहाय की स्थित है। रामसहाय जी ने ग्राम बुधरपुरा की भूमि का विक्रय पत्र वादी नम्बर 2 के पक्ष में दिनांक 14.10.96 को करा दी है एवं वर्तमान में ग्राम बुधरपुरा के 1/2 भूमि ख.नं. 87 के वादी नम्बर 2 काबिज खातेदार काश्तकार है लेकिन यह कथन गलत है कि ख.नां. 431, 469 हिस्सा 1/4 स्थित ग्राम तूंगा के संबंध में वादी के पक्ष में उपयोग उपभोग करने हेतु लिखावट है जिसे प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता है।

प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन सही है कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रामसहाय की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व ही हो चुकी है, यह कि स्व. रामसहाय जी द्वारा हरिओम के पक्ष में करवाई गई रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करवाने का दावा वादी ने माननीय सिविल न्यायाधीश(क.ख.) बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। यह कथन गलत है कि रामसहायजी ने वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम तूंगा के संबंध में कोई उपयोग उपभोग के अधिकार वादी नं. 1 को नहीं दिये एवं यह कि प्रतिवादी सं. 1 हरिओम जिस वसीयत के आधार पर अपने आपकों वारिस बताता है उस वसीयत को निरस्त करवाने का वाद सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 हरिओम में वादग्रस्त में कोई हित व अधिकार निहित नहीं हैं।

वादी का कथन रहा है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। क्योंकि विवादित भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त है ना कि सिविल न्यायालय को प्राप्त है एवं वादी माननीय न्यायालय से अधिकार पत्र को तय नहीं करवा रहा है वह सिर्फ अपनी कब्जेशुदा भूमि की सुरक्षा करने की रिलीफ माननीय न्यायालय से चाह रहा है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह कथन गलत है कि वादीगण को कभी भी वास्तविक अर्थो में वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि वादी उत्तरदाता ने वादपत्र के मद नं. 4 में वादकारण के बारे में स्पष्ट अंकित किया है एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार कॉज आफ एक्शन का प्रश्न pure question of law नही होकर Mixed question of law and facts है इसलिये यह प्रश्न भी वाद में साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है, यह कथन भी गलत है कि यह वादपत्र बार्ड बाई लॉ विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये प्रतिवादीगण रामसहाय के प्रथम श्रेणी के वारिसों को हैरान व परेशान करने के लिये पेश किया है, स्वयं प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाया है क्योंकि प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत को निरस्तीकरण का वाद पत्र सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है एवं जब तक वसीयत निरस्तीकरण का वाद सक्षम सिविल न्यायालय से निर्णित नहीं हो जाता है तब तक प्रतिवादी अपने आपको रामसहाय के प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं बता सकता है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में जो तथ्य वर्णित किये है वे सभी तथ्य इश्यू बनकर तय होने है जबकि अभी तक विचाराधीन वाद में कोई ईश्यू कायम नहीं हुआ है वैसे भी प्रश्न चाहे विधि का हो अथवा तथ्य का दोनों ही सी.पी.सी. के आदेश 14 में वर्णित प्रावधानों के तहत इश्यू बनाकर ही तय किये जा सकते है अन्यथा नहीं, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र की वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जय

Contd--3

पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष की की गई बहस पर मनन करने के पश्चात वादग्रस्त आराजी ख.नं. 431 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 469 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम तूंगा तथा ख.नं. 86 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व ख.नं. 87 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम बुधरपुरा तहसील बस्सी के संबंध में वादी ग्राम तूंगा की जमीन पर अधिकार पत्र के माध्यम से अपना आधिपत्य दर्शा रहा है जो उचित नहीं है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। अधिकार पत्र लिखने वाला ही फोत हो गया है तो अधिकार पत्र का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में वादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिकार पत्र के माध्यम से कोई रिलीफ दिया जाना उचित नहीं है। वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ एवं विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.3.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. गोपाललाल पुत्र राघवराम जाति ब्राहमण निवासी तूंगा तह. बस्सी। 2. दीपक पुत्र गोपाललाल जाति ब्राहमण निवासी तूंगा तह. बस्सी।	**बनाम**	1. हरिओम पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी पाटन हालवासी तूंगा तह. बस्सी। 2. तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 213/08 दिनांक 13.03.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 431 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 469 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम तूंगा तथा ख.नं. 86 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व ख.नं. 87 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम बुधरपुरा तहसील बस्सी के संबंध में वादी ग्राम तूंगा की जमीन पर अधिकार पत्र के माध्यम से अपना आधिपत्य दर्शा रहा है जो उचित नहीं है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत अधिकार पत्र कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। अधिकार पत्र लिखने वाला ही फोत हो गया है तो अधिकार पत्र का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में वादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिकार पत्र के माध्यम से कोई रिलीफ दिया जाना उचित नहीं है। वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ एवं विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया जाता है। ....निजी.................मुबलिक.....................
.बाबत...खर्चा.. इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.........
...........फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13.03.2018 को जारी किया गया।

मोहर दस्तख्त.............................. 13.3.18

ओहदा..............................

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी